

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p> <p>गोपीराम अग्रवाल बनाम लो.सू.अ.(अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर)</p> <p>सू.अ.अ. अपील संख्या 229/2020</p>	<p>नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
--------------------	--	--

10.12.20

अपीलार्थी गोपीराम अग्रवाल, पता आर टी आई रिसर्च सेंटर, बांसवाड़ा (राज.) ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 14.09.20 में उसके द्वारा (1) प्रार्थी ने दिनांक 11.09.2020 को एक पत्र मुख्य सचिव महोदय राजस्थान सरकार जयपुर को प्रेषित किया गया जिसकी प्रतिलिपि दिनांक 13.09.20 को जिला कलक्टर महोदय के कार्यालय में ई-मेल से प्रेषित की पर की गई कार्यवाही, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लो.सू.अ.(अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से आदिनांक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।

